वित्तीय स्वीकृति

संख्या-52/1971/52-3-14-बजट(12)/2014

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव

उ0प्र0 □□□□

सेवा में

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 23 सितम्बर, 2014

विषयः-अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में तकनीकी कारण वश अवितरित समर्पित धनराशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट से वितरित किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके 0-1071/□0□0□0□□0-970/□□0□□0□□0प्र0/ 2013-14 दिनांक 30.6.2014 तथा पत्र 0-1915/□0□0□0□□0-970/□□0□□0□□0प्र0/ 2013-14 दिनांक 4.9.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जनपदों को वितरण हेतु आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में कतिपय तकनीकी कारणों से अवितरित अवशेष धनराशि जो वर्षान्त के अन्त में समर्पित कर दी गयी थी, को पुनः वित्तीय वर्ष 2014-15 □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

से स्वीकृत किये जाने हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2013-14 की देय दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान स्वरूप क्रमशः रू0 05,78,42,000/-(पाँच करोड़ अठत्तर लाख बयालिस हजार मात्र) □□□ रू0 04,24,27,000/-(□□□ □□□□ □बिस लाख सत्ताइस हजार मात्र) चा□□ वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि से किये जाने की सहमति, निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यक्त की □□□ □□-

(1) उक्त धनराशि का भुगतान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश □0-747/52-3-14-□□□(12)/2014 दिनांक 20.5.2014, □□□□□□ □0-1842/ 52-3-14-□□□(12)/2014, दिनांक 1.9.2014 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु कुल सवीकृत धनराशि रू0 42,52,36,000/-□□□ □□□□□□ □0-750/52-3-14-□□□(12)/2014 दिनांक 20.5.2014 □□□ □□□□□□ □0-1812/52-3-14- □□□(15)/2014 दिनांक 28.8.2014 द्वारा शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि कुल रू0 85,00,00,000/- से किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के भुगतान स्वरूप देय धनराशि कोषागार के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

(3) □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□,अतः गतवर्ष की उक्त देयता के भुगतान के उपरान्त अवशेष बजट की सीमा तक ही चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में पात्र आवेदकों को छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2015 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(5) जिन विद्यालयों/मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत हो उनमें छात्रवृत्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये उन विद्यालयों/मदरसों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं का सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

(6) छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-938/□□-2014, दिनांक 23 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

□□□□

संख्या-1971(1)/52-3-14-तददिन□□□

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

3-मुख्य कोषाधिकारी, के□□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(□□0□□0द्विवेदी)

□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in